Name - (Dr) D. N. Singh

Designation - Associate Professor

Deptt - Political Science

Paper - Comparative Politics

B.A - Hons / Sub - II
I

Topic (A) Methods of Influencing the Congress by American President -

(B) Short notes on Vice - President of U.S.A -

Date - 18 - 07 - 2020

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा काँग्रेस को प्रभावित करने की विधियाँ *(Methods of Influencing the Congress by the President)*

अमेरिकी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह शक्तियों के पृथक्करण-सिद्धांत पर संचालित है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण काँग्रेस की कार्यप्रणाली में राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका नहीं रहती। जिस प्रकार ब्रिटेन तथा भारत में प्रधानमंत्री क्रमशः काँमंस सभा तथा लोकसभा में अपने बहुमत के बल

विधि-निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उस प्रकार के अधिकार और वैसी भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति की नहीं है। परंतु, पिछले कई वर्षों में अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। **विलोबी** के अनुसार, "अमेरिकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बड़ी तेजी से एक-दूसरे के निकट आ रहे हैं।" आज अमेरिकी राष्ट्रपति को **प्रधान विधायक** (Chief Legislator) की संज्ञा से विभूषित किया जाने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कॉंग्रेस तथा विधि-निर्माण-प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति निम्नलिखित विधियों से कॉंग्रेस को प्रभावित करता है—

1. **संदेश भेजने की शक्ति**—अमेरिकी राष्ट्रपति अपने संदेश भेजने की शक्ति द्वारा कॉंग्रेस को प्रभावित करता है। संघ के संबंध में कॉंग्रेस की आधुनिकतम परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए तथा किसी विशेष प्रकार के कानूनी प्रस्तावों को पारित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रपति कॉंग्रेस को संदेश भेजता है। साधारणतः सामान्य प्रस्तावों के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति संदेश भेजता है, परंतु कभी-कभी विधेयक के आधार के रूप में भी संदेश भेजा जाता है। 1933 ई० में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बैंक संकट के संबंध में तथा 1950 ई० में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने पुनर्शस्त्रीकरण के संबंध में कॉंग्रेस को संदेश द्वारा अपने अधिकारों की वृद्धि की माँग की थी।

2. **विशेष अधिवेशन आहूत करने का अधिकार**—वैसे तो अमेरिका में राष्ट्रपति को कॉंग्रेस के किसी भी सदन को आहूत करने या उसे सत्रावसित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति कॉंग्रेस के चालू अधिवेशन के काल में वृद्धि करने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन को आमंत्रित करने-संबंधी धमकी भी दे सकता है।

3. **निषेधाधिकार**—निषेधाधिकार (Veto power) अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई एक महान शक्ति है। यह विधि-निर्माण-प्रक्रिया को प्रभावित करने की राष्ट्रपति के पास एक प्रभावशाली शक्ति है। यद्यपि राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं, फिर भी राष्ट्रपति इसके प्रयोग या इसकी धमकी से विधि-निर्माण-प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(i) **विलंबकारी निषेधाधिकार** (Suspensive veto), और (ii) **पॉकेट निषेधाधिकार** (Pocket veto)। जहाँ विलंबकारी निषेधाधिकार राष्ट्रपति के किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति देता है, वहाँ पॉकेट निषेधाधिकार के द्वारा वह दस दिनों तक किसी भी विधेयक को अपने पास रख लेता है और यदि इन 10 दिनों में कॉंग्रेस स्थगित हो जाए, तो संबद्ध विधेयक राष्ट्रपति के पास ही रह जाता है और उसकी मृत्यु राष्ट्रपति की पॉकेट में ही हो जाती है।

4. **अध्यादेश जारी करने की शक्ति**—अमेरिकी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। अमेरिका में इसे हम कार्यपालिका-आदेश के नाम से पुकारते हैं। इसका महत्त्व कानून जैसा ही होता है। अपने कार्यपालिका-आदेश द्वारा राष्ट्रपति ने अनेक महत्त्वपूर्ण कानूनों को पारित किया है।

अन्य विधियाँ—उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त, कॉंग्रेस को प्रभावित करने के लिए अनेक अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने समय-समय पर अन्य विभिन्न पद्धतियों का भी सहारा लिया है। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं—

(i) विधेयक की पुनर्स्थापना,

(ii) वित्तीय क्षेत्रों में नेतृत्व, तथा

(iii) अपना गतिशील व्यक्तित्व।

यद्यपि अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति विधेयकों के स्वरूप-निर्धारण के लिए सक्षम नहीं है, तथापि व्यवहार में अनेक राष्ट्रपतियों ने विविध अवसरों पर विधेयकों का प्रारूप भी तैयार किया है।

इस प्रकार, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि वह कॉंग्रेस को प्रभावित करने की असाधारण क्षमता रखता है। **चैम्बरलेन** ने अपनी पुस्तक *The President, Congress and Legislation* में विधायन के संबंध में राष्ट्रपति के बढ़ते प्रभाव की समीक्षा करते हुए कहा है कि 20 प्रतिशत अमेरिकी कार्यपालिका के प्रभाव से, 40 प्रतिशत कॉंग्रेस के प्रभाव से, 30 प्रतिशत कॉंग्रेस और कार्यपालिका के सम्मिलित प्रभाव से तथा 10 प्रतिशत गैरसरकारी निजी हितों के प्रभाव से बने हैं। अतः, उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर इस लेखक ने निष्कर्ष निकाला है

कि विधायी क्षेत्र में विधियों के प्रस्तावन तथा व्यवस्थापन में मुख्य कार्यपालक का एक शक्ति के रूप में उदय होना बीसवीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना है।

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति *(The Vice-President of U.S.A.)*

अमेरिकी संविधान में एक शक्तिशाली राष्ट्रपति के साथ-साथ उप-राष्ट्रपति के पद का भी प्रावधान है। उप-राष्ट्रपति पद की व्यवस्था का एकमात्र कारण इसके कार्यकाल के अंतर्गत राष्ट्रपति के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही उप-राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। पहले निर्वाचक प्रत्याशियों के बीच से दो व्यक्तियों के लिए मतदान करते थे। जिस प्रत्याशी को दूसरा अधिक (second highest) मत मिलता था, उसे उप-राष्ट्रपति बना दिया जाता था। किंतु, 1800 ई० में जेफर्सन और बर्र के बीच ग्रंथि (tie) हो जाने के कारण संविधान के 12वें संशोधन के अनुसार यह नियम बना दिया गया कि निर्वाचकगण के सदस्य दो व्यक्तियों को मत देते समय एक के आगे राष्ट्रपति और दूसरे के आगे उप-राष्ट्रपति लिखेंगे। परिणामस्वरूप, अब राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पद के लिए अलग-अलग उम्मीदवार होते हैं। राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति एक ही राज्य और क्षेत्र के न हों—इस बात का पूरा ख्याल प्रत्याशियों के चयन में किया जाता है। राष्ट्रपति की तरह उप-राष्ट्रपति की कार्यावधि भी 4 वर्ष की है। उप-राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष 35 हजार डॉलर वेतन मिलता है। उसे आयकर से वंचित रखा गया है। अन्य खर्चों के लिए उसे 10 हजार डॉलर अतिरिक्त भत्ते के रूप में मिलता है। उप-राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं—

(i) वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो,

(ii) कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का हो, तथा

(iii) चार वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी हो।

अमेरिका में 16 बार उप-राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में 25वाँ संशोधन किया गया। 25वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी उप-राष्ट्रपति पद के रिक्तता होगी, तब राष्ट्रपति एक उप-राष्ट्रपति को मनोनीत करेगा, जो कॉंग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पुष्टिकरण होने पर अपना पद ग्रहण करेगा। 1973 ई० में निक्सन ने फोर्ड को निर्वाचित उप-राष्ट्रपति एग्न्यू द्वारा त्यागपत्र देने पर मनोनीत किया था। बाद में निक्सन द्वारा त्यागपत्र देने पर फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए।

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य—जहाँ तक अमेरिकी उप-राष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों का प्रश्न है, संविधान-निर्माताओं का प्रारंभ में यह उद्देश्य था कि उप-राष्ट्रपति का पद मर्यादा का पद हो और कार्यकारिणी के पद, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए एक 'प्रशिक्षण-केंद्र' हो। लेकिन, बाद में संविधान-निर्माताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन, जब से दल द्वारा उम्मीदवारों के मनोनयन की प्रथा प्रारंभ हुई, तब से इस पद की मर्यादा बहुत घट गई है। किसी असंतुष्ट गुट का समर्थन प्राप्त करने के लिए या किसी दुलमुल राज्य का समर्थन प्राप्त करने के लिए या किसी क्षेत्र-विशेष को प्रतिनिधित्व देने के लिए या कुछ लोगों द्वारा दलीय-कोष में डॉलर जमा करने के लिए तथा ऐसे ही अन्य उद्देश्यों को देखते हुए उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की जाती है। इसमें व्यक्ति की अपनी प्रतिभा या गुण को ख्याल में नहीं रखा जाता।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, उप-राष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है, लेकिन वह सीनेट का सदस्य नहीं होता। वह सिर्फ निर्णायक मत देता है। उसे सीनेट की समितियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। जब थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के उप-राष्ट्रपति थे, तब वे कहा करते थे, "यह पद अपने कार्यों में विशिष्ट है, बल्कि यों कहिए कि इसकी विशिष्टता कार्यों के अभाव में है (An office unique in its functions, or rather in its lack of functions)।" लेकिन, बात ऐसी नहीं है कि उप-राष्ट्रपति का पद बिल्कुल महत्त्वहीन है। जब राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है या वह त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है, तब उप-राष्ट्रपति का महत्त्व सभी महसूस करने लगते हैं। एक महत्त्वहीन अधिकारी देखते-देखते महत्त्वपूर्ण हो जाता है और अपने कार्यकाल में वह सारे देश को नियंत्रित करने लगता है। अभी तक आठ उप-राष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति की कार्यावधि के दौरान मृत्यु के कारण उनके पद को सँभाला है।

निष्कर्ष—इस प्रकार, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि उप-राष्ट्रपति का पद महत्त्वहीन व अनुपयुक्त बनाया गया है और उसे 'राजनीतिक कब्रिस्तान' की संज्ञा दी गई है, फिर भी सिर्फ 'उप-राष्ट्रपति' पद से विभूषित होने के लिए इसका थोड़ा महत्त्व बढ़ ही जाता है। इस पद की महत्त्वहीनता के संबंध में मार्शल ने कहा है, "विश्व में मुझे यही एक ऐसा पद दिखाई पड़ता है, जिसके संबंध में मैं फैसला नहीं कर सका कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए था या नहीं। यह पद सम्मानपूर्ण तथा आनंददायक है—इस पद को स्वीकार कर लेने से मैं हर शीत की शाम को दार्शनिक चिंतन में बिता सकूँगा और ग्रीष्म के दे।"